म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/1–3/ड्रेसकोड/241/3086 भोपाल, दिनांक 22/11/2014

–: निर्देश/परिपत्र :–

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियो मे कार्यरत मंडी निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक एवं मण्डी सेवा के वाहन चालक तथा भृत्य संवर्ग की पहचान सुगम बनाने, क्षेत्रीय कार्यो में प्रशासनिक कसावट लाने तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से दिनांक 24.11.2005 को ड्रेसकोड निर्धारित किया जाकर निर्देश जारी किये गये है। मण्डी समिति मे लागू ड्रेसकोड को प्रदेश की सभी मंडियो मे लागू करने के निर्देश दिये गये है।

मण्डी समितियो के रोस्टर निरीक्षण/भ्रमण के दौरान यह प्रकाश मे आया है, कि सभी मंडियो मे ड्रेसकोड पूर्ण रूप से लागू नही हुआ है तथा मंडी निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक एवं मण्डी सेवा के वाहन चालक तथा भृत्य को प्रदाय की गई वर्दी पहनकर कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नही होते है, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है। ऐसे कर्मचारियो के विरूद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही की जाये एवं धुलाई भत्ता भी स्वीकृत नही किये जाये।

अतः मण्डी समितियो मे लागू ड्रेसकोड का पालन दिनांक 30.11.2014 तक पूर्ण रूपेण लागू कराने की जिम्मेदारी संबंधित मण्डी सचिव की होगी। राज्य विपणन सेवा एवं मण्डी सेवा के अधिकारी/कर्मचारी अनिवार्य रूप से ड्रेस पहनकर ही कार्यालय मे उपस्थित रहेगे। मण्डी समितियो मे ड्रेसकोड लागू कराने की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी मण्डी सचिव की रहेगी।

(प्रबंध संचालक महोदय के निर्देशानुसार)

अपर संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/1–3/ड्रेसकोड/241/3087 भोपाल, दिनांक 22/11/2014

प्रतिलिपि :–

1. समस्त अपर/संयुक्त/उप संचालक मण्डी बोर्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संयुक्त/उपसंचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय........................ (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.............................जिला............................... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. गार्ड फाइल/कम्पयूटर शाखा/समन्वय शाखा।

अपर संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल